राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक / 7455 / मबावि / आईसीपीएस / 16–17 रायपुर, दिनांक 9.12.2016

"विज्ञापन"

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी (specialised Adoption Agency) की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का आमंत्रण

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 65 के अनुसार **राजनांदगांव, कोरिया, जांजगीर चांपा एवं कोरबा जिला** मुख्यालय में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी (**specialised Adoption Agency**} के स्थापना एवं संचालन हेतु **पंजीकृत अशासकीय संस्थायें / स्वैच्छिक संगठन जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो, वित्तीय रूप से सक्षम हो तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए** विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी (प्रत्येक एजेन्सी की क्षमता 10 बच्चों की होगी) **संचालन के इच्छुक हों, से दिनांक 7 जनवरी 2017 तक जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।** इच्छुक संस्थायें संबंधित जिले के कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास / जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवदेन प्रस्तुत कर सकेंगे। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी (**specialised Adoption Agency**} की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश / मापदण्ड एवं आवेदन का प्रारूप संबंधित जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय अथवा www.cgstate.gov.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग (www.cgwcd.gov.in) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

टीप :– इस हेतु गत वर्ष जारी किये गये विज्ञापन को निरस्त माना जावे। पूर्व में आवेदित सभी संस्थाओं को वर्ष 2016–17 में पुनः आवेदन करना होगा।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
एवं सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

क ग्रहण एजेन्सी/आश्रय गृह/बालगृह की स्थापना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....
.....
.....

दत्तक ग्रहण एजेन्सी/आश्रय गृह/बालगृह हेतु प्रस्तावित जिला :– .....

1. आवेदित संस्था का नाम :– .....

2. **संस्था का पंजीकरण संख्या तथा किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है ।**
:– .....

3. स्थायी पता :–.....
.....

4. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....
दूरभाष/मोबाईल/ईमेल :– .....

5. संस्था का प्रयोजन

- बालक देखरेख एवं संरक्षण ☐
- बालिका देखरेख एवं संरक्षण ☐
- अन्य आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख व संरक्षण ☐
- बालक /बालिका से जुडे अन्य विषय ☐

5. क्या संस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के तहत निर्धारित ढॉचागत व्यवस्था का अनुपालन करती है :–
हॉ ☐
नहीं ☐

7. संस्था में कार्यरत कर्मचारी संबंधी विवरण

क्रमांक	कर्मचारी का नाम/पदनाम	उपलब्धता	अनुपलब्धता	मासिक मानदेय
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के अंतर्गत उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करते हैं/करेंगे यथा –

सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था ☐

- कपड़े एवं विश्राम की व्यवस्था ☐
- भोजन की व्यवस्था ☐
- चिकित्सकीय व्यवस्था (मासिक चिकित्सकीय जॉच) ☐
- शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण/पुर्नवास की व्यवस्था ☐
- मनोरंजन की व्यवस्था एवं ☐
- संस्था में निवासरत बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के रिकार्ड मेन्टेनेन्स एवं एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था ☐

9. निम्न लिखित संलग्नों के साथ आवेदन करें :–

1. **संस्था के पंजीकरण, नियमावली एवं कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रति**
2. **संस्था के तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति**
3. **संस्था की वर्तमान गतिविधियों का विस्तृत विवरण, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान एवं ऋण इत्यादि का विवरण ।**
4. **संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उपरोक्त कंडिका–7 अनुसार**
5. **बच्चों को रखने हेतु आपके पास क्या व्यवस्था है /प्रस्ताव ।**
6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016**के अनुसार आवश्यक प्रावधान का विवरण संलग्न है ।**
   (संस्था के लेटर हेड/शपथ पत्र के रूप में इन प्रावधानों का पालन करने का वचन पत्र प्रस्तुत करें।)

आवेदक के हस्ताक्षर
(अध्यक्ष/सचिव)
पदनाम एवं मुहर

घोषणा–पत्र

संगठन/प्रबंधन की तरफ से, मै यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक संस्था गृह के संचालन के लिए किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एंव किशोर न्याय नियम 2016 के में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु सहमत है। संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन दी गई शर्तो का अनुपालन करेगी तथा सभी तरह की सूचनाओं/प्रतिवेदनों/वांछित दस्तावेजो तथा शासन के सभी निर्देशो के पालन के लिए सहमत रहेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(अध्यक्ष/सचिव)
पदनाम एवं मुहर

स्थान – ——————————
दिनांक – ——————————

ANNEXURE IX - FAMILY BASED NON-INSTITUTIONAL CARE THROUGH ADOPTION

1. *Specialised Adoption Agency (SAA)*

1.1 Staff Strength

S. N.	Particular of Staff	Amount (in Rs.)
1.	One Manager/Coordinator@Rs.17,500per month	2,10,000
2.	One Social Worker cum Early Childhood Educator @Rs.14,000per month	1,68,000
3.	One Nurse@Rs.9,000per month	1,08,000
4.	One Doctor (Part time) @Rs.7,500per month	90,000
5.	Six Ayahs@Rs.6,000per month	4,32,000
6.	One Chowkidar@Rs.6,000per month	72,000
	Total	**10,80,000**

1.2 Estimated Cost for a single unit of 10 children:

S.N.	Item	Amount (in Rs.)
A. Non-recurring Expenditure (once in five years)		
1.	One Computer with UPS and Web Cam (including cost of software license) and One printer cum scanner	45,000
2	Furniture including 10 Cradles	1,50,000
3.	Equipments for kitchen (Gas stove with connection, utensils, water filter, etc.)	40,000
	Total	**2,35,000**
B. Recurring Expenditure		
4.	Staff Salary (as given in Table 1. above)	**10,80,000**
5.	Maintenance grant for ten (10) children @ Rs. 2000 per child per month to cover expenses on food, milk powder, feeding bottles, clothing, soap, oil, medicines, play materials, etc.	2,40,000
6.	Rent (up to Rs.12,000 p.m.)[1]	1,44,000
7.	Payment of legal expenses to the advocate engaged in adoption case @ Rs. 2,600 per child in case the adoptive Indian parents are not in a position to pay subject to a maximum of 10 children. The sanction will be based on actual number of adoptions and production of Lawyer's receipt.	26,000

S.N.	ITEM	AMOUNT (IN RS.)
8.	Contingency (water, electricity, telephone, stationary, photocopy, postage, etc.) @ Rs. 5,000 per month	60,000
	Total	**15,50,000**
	Total Expenditure (A+B)	**17,85,000**

[1]*Rent charges up to a maximum of Rs.42,500 per annum for a self owned building subject to production of receipts;*

Note:

Any request for non-recurring component, in the interim period, may be provided if approved by the Project Approval Board (PAB).